

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481]
No. 481]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 1, 2007/कार्तिक 10 1929
NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 1, 2007/KARTIKA 10, 1929

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
आदेश

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2007

सा.का. नि. 689(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु

अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम, विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) संशोधन आदेश, 2007 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. विलायक, रेफिनेट और स्लॉप (अर्जन, विक्रय, भंडारण और आटोमोबाइल में उपयोग का निवारण) आदेश, 2000 की अनुसूची में क्रम संख्या 15 तथा इससे संबंधित प्रविष्टि को हटा दिया जाएगा।

[फा. सं. पी-11013/3/2007-वितरण]

डी. एन. नरसिम्हा राजू, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में दिनांक 5 जून, 2000 के सं. सा.का. नि. 519(अ) के तहत और पिछला संशोधन दिनांक 7 दिसम्बर, 2006 की सं. सा.का.नि. 743(अ) के तहत प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
ORDER

New Delhi, the 1st November, 2007

G.S.R. 689(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following order further to amend the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order, 2000, namely :—

1. (1) This Order may be called the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of Use in Automobiles) Amendment Order, 2007.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Solvent, Raffinate and Slop (Acquisition, Sale, Storage and Prevention of use in Automobiles) Order, 2000, in the Schedule, serial number 15 and the entry relating thereto, shall be omitted.

[F. No. P-11013/3/2007-Dist.]

D. N. NARASIMHA RAJU, Jt. Secy.

Note.—The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 519(E), dated the 5th June, 2000 and lastly amended vide number G.S.R. 743(E), dated the 7th December, 2006.